संख्या-1370/9-8-09-54ज/2007

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2009

विषय- प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के स्वामित्व की पशुवधशालाओं को पी.पी.पी. माडल के आधार पर संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या-1855/9-8-08-54ई.ओ./07, दिनांक 06.08.08 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के स्वामित्व की पशुवधशालाओं को कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के लिये पी.पी.पी. माडल के आधार पर निजी सहभागीदारों को अध्यासन तथा प्रयोग के लिये दिये जाने के निर्देश कतिपय शर्तों के अधीन दिये गये हैं।

2- इस संबंध में पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगमों/निकायों द्वारा संचालित वधशालाओं में निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान समयावधि को और तर्कपूर्ण बनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों की स्वामित्व की पशुवधशालाओं को कम से कम 5 वर्ष व अधिकतम 20 वर्ष के लिये पी.पी.पी. माडल के आधार पर निजी सहभागीदारों को अध्यासन तथा प्रयोग के लिये इस शर्त के अधीन दिया जाय कि निजी सहभागीदारों को उपरोक्त अवधि में पशुवधशालाओं का निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करना होगा और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रथम वर्ष में ही प्रारम्भ कर उक्त कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी, जिसका उल्लंघन होने पर अनुमति निरस्त भी की जा सकेगी। उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या-1855/9-8-08-54ई.ओ./07, दिनांक 06.08.08 को संशोधित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 06.08.08 की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया शासनादेश दिनांक 06.08.08 के क्रम में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ/जलनिगम को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- समस्त अनुभाग नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सतीश भाटिन)
अपर सचिव।